1.3. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (DR. AMBEDKAR)

1.3.1. डॉ. बी.आर. अम्बेडकर का जीवन परिचय (Biogra Dr. B. R. Ambedkar)

डॉ. भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के एक अंत्योदय परिवार में हुआ था। इनके बचपन का नाम भिवा था। बाद में एक ब्राह्मण शिक्षक कृष्णा केशव आम्बेडकर जो उनसे विशेष स्नेह रखते थे, उन्होंने उनके उपनाम से 'आंबडवेकर' हटाकर अपना सरल 'आम्बेडकर' उपनाम दिया। उन्हें बाबासाहेब के नाम से जाना जाता है। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल था। इनके पिता सूबेदार रैंक के एक सैन्य अधिकारी थे। सन् 1897 में इनका पूरा परिवार मुम्बई आ गया। जहाँ उनका प्रवेश एलफिस्टन हाईस्कूल में हुआ।

सन् 1913 में अंबेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए बड़ौदा सायाजीराव गायकवाड़ के यहाँ आर्थिक मदद के लिए आवेदन किया। जब यह महाराजा गायकवाड़ को प्राप्त हुआ, तो उन्होंने इसे स्वीकार करके सालाना स्क देना शुरू कर दिया। जिससे अम्बेडकर के लिए विदेश जाकर पढ़ाई करना आ गया। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय तथा लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधियाँ प्राप्त की और विधि, अर्थश राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात् उन्हों 1923 ई. में बम्बई से वकालत की शुरूवात की।

20 जुलाई सन् 1924 को उन्होंने 'बहिष्कृत हितकारिणी' सभा की स्थापना की, उद्देश्य दलित वर्ग की समस्याओं पर लोगों को संगठित करना था। डॉ. आम्बे सन् 1930 एवं 1931 ई. में लंदन में आयोजित प्रथम और द्वितीय गोलमेज स दलितों के प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। डॉ. भीमराव ने सम्मेलन में "दलितों को विधान परिषदों में हिन्दू समाज से पृथक् प्रतिनिधित्व प्रदान कि चाहिए।" ब्रिटिश सरकार ने इस सुझाव को स्वीकृति दे दी तथा सन् 1932 में मे का साम्प्रदायिक पंचाड भारत भेजा गया। महात्मा गाँधी ने इसका विरोध करते कि ये अंग्रेजों की (Divide and Rule) 'फूट डालो और राज करो' की नीति क है। बाद में गाँधी एवं अम्बेडकर के मध्य 'पूना–एक्ट' नामक एक समझौता हु अम्बेडकर अलग निर्वाचन के लिए गाँधी जी को मना लेते है। अम्बेडकर का

एवं कांग्रेस के साथ सदैव मतभेद रहा क्योंकि उनका कहना था कि, "उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं को अछूतों की बात कहने का हक नहीं जो अछूत नहीं है।" डॉ. अम्बेडकर ने 936 में 'इण्डिपेण्डेण्ट लेबर पार्टी' की स्थापना की। 7 अगस्त 1942 को अम्बेडकर को वर्नर जनरल की परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया। बाद में अम्बेडकर ने इस ार्टी का नाम बदलकर 'अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ' रख दिया। इस पार्टी ने सन् 1957 में चुनाव लड़ा। इस पार्टी ने 15 सीटों में 13 सीटें तथा 2 सामान्य सीटों पर भी विजय प्राप्त किया। कांग्रेस से मतभेद होने के बावजूद भी कांग्रेस ने अपना समर्थन देकर संविधान सभा का सदस्य निर्वाचित करवाया।

संविधान सभा में उन्हें 'प्रारुप समिति' का अध्यक्ष बनाया गया। इन्होंने संविधान के निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभायी, जिससे इनकी व्यक्तिगत सोच का प्रभाव संविधान में स्पष्ट रूप में परिलक्षित होता है। 3 अगस्त 1949 को इनको भारत सरकार का कानून मंत्री बनाया गया। लेकिन पण्डित नेहरु से मतभेद होने के कारण इन्होंने 27 दिसम्बर 1951 को मंत्रिमण्डल से इस्तीफा दे दिया। सन् 1955 में उन्होंने 'भारतीय बुद्ध महासभा' की स्थापना की। 6 दिसम्बर 1969 को डॉ. अम्बेडकर की मृत्यु हो गयी।

1.3.2. डॉ. बी. आर. अम्बेडकर की रचनाएँ (Creations of Dr. B. R. Ambedkar)

उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता प्राप्त थी, उनके द्वारा प्रकाशित सबसे महत्त्वपूर्ण पुस्तकें इस प्रकार हैं–

1)	भारत का राष्ट्रीय अंश	(1916)
2)	भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण	(1916)
3)	भारत में लघु कृषि और उनके उपचार	(1917)
4)	मूल नायक (साप्ताहिक)	(1920)
5)	ब्रिटिश भारत में साम्राज्यवादी वित्त का विकेंद्रीकरण	(1921)
6)	रुपये की समस्या– उद्धव और समाधान	(1923)
7)	ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का अभ्युदय	(1925)
8)	बहिष्कृत भारत (साप्ताहिक)	(1927)
9)	जनता (साप्ताहिक)	(1930)
10)	जाति का उच्छेद	(1937)
11)	संघ बनाम स्वतंत्रता	(1939)
12)	पाकिस्तान पर विचार	(1940)
13)	श्री गाँधी एवं अछूतों की विमुक्ति	(1942)
14)	रानाडे, गाँधी और जिन्ना	(1943)
15)	कांग्रेस और गाँधी ने अछूतों के लिए क्या किया	(1945)
16)	शूद्र कौन और कैसे	(1948)
17)	महाराष्ट्र भाषाई प्रान्त	(1948)
18)	भगवान बुद्ध और उनका धर्म	(1957)

यहाँ पर यह बताना जरूरी है कि डॉ. बी. आर. अम्बेडकर जी के निजी पुस्तकालय "राजगृह" में 50,000 से भी अधिक उनकी पुस्तकें थी और यह विश्व का सबसे बडा निजी पुस्तकालय था। डॉ. बी. आर. अम्बेडकर कुल 64 विषयों के ज्ञाता थे। वे हिन्दी, पालि, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन, मराठी, पर्शियन और गुजराती जैसे 9 भाषाओं के जानकार थे। इसके अलावा उन्होंने लगभग 21 साल तक विश्व के सभी धर्मों की तुलनात्मक रूप से पढाई की थी।

1.3.3. डॉ. अम्बेडकर का भारतीय समाज पर दृष्टि Ambedkar's Views on Indian Society)

भारतीय समाज में सुधार के लिए अम्बेडकर जी पूर्णतः समर्पित थे। दलित के वह उद्धारकर्ता थे। उन्होंने हमेशा से दलित वर्ग का सम्मानपूर्वक जीवन के लिए मार्गदर्शन किया। उन्हें अपने उपर हो रहे अत्याचारों, शोषण एव अपमान का विरोध करने की शक्ति प्रदान की। उनके अनुसार सामाजिक के द्वारा दिए जाने वाले दण्ड़ से भी अधिक प्रताणित करने वाला है। प्र ग्रंथों का गहन अध्ययन कर उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि व्यवस्था जाति प्रथा एवं अस्पृश्यता का कलान्तर में समाज में उत्पन्न विकृति प्रादुर्भाव हुआ। यह समाज के प्रारम्भ से अस्तित्व में नहीं थी। उन्होंने दलि अत्याचार का विरोध न करके उन्हें अपने स्वालम्बन, आत्मगौरव एवं आत्म आत्म विश्लेषण करने की शक्ति दी। दलितों के डत्थान हेतु उनके द्वारा कि को आधुनिक भारत के निर्माण में भुलाया नहीं जा सकता। दलितों की देखकर उन्होंने सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की। डॉ. अम्बेडकर विचारों को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से जाना जा सकता है–

1) **वर्ण व्यवस्था का विरोध (Opposition to Caste System)**–भारती व्यवस्था को भलीभांति संचालित करने के लिए वैदिक काल में वर्ण अपनाया गया था। किन्तु समय के साथ इसमें कुछ दोष उत्पन्न हो अम्बेडकर ने विरोध किया। उन्होंने इसे अवैधानिक, अव्यवहारिक तथा अ था। उन्होंने कहा कि शूद्रो को समाज के कुछ स्वार्थी तत्त्वों ने जान–बूझ वंचित रखा। अतः उन्होंने शूद्र वर्ग को जागरुक तथा संगठित होने के लि

2) **जाति प्रथा का विरोध (Opposition to Caste System)**–डॉ. प्रसिद्ध लेख "कास्ट इन इंडिया" देयर मेकनिज्म जेनिसिस एंड डेवलेप व्यवस्था से जुड़े विचार एवं सिद्धान्त व्यक्त किये गये हैं जिसका प्रकाश में हुआ था। इस लेख में उन्होंने सुव्यवस्थित रूप से भारत में जाति और विकास का विश्लेषण किया है। जाति के मूल अर्थ को परिभाषि उन्होंने नेसफील्ड तथा रिजले जैसे विद्वानों की परिभाषाओं का विश्लेष जाति के प्रमुख पहलू पर उनके ध्यान न देने के लिये उन्हे आलोचि केतकर की परिभाषा की सराहना करते हुए यह तर्क दिया कि सिर्फ व्यक्ति ही जाति के उचित स्वरूप को समझ सकता है। यह वह वि सिर्फ जाति व्यवस्था में ही होती है।

अम्बेडकर के विचारों के अनुसार जाति की प्रमुख विशेषता अन्तर्विवा विचार है कि यदि हमें यह सिद्ध करने में सफलता मिल जाए कि अ किस प्रकार से जीवित रखा गया है तो व्यावहारिक रूप से जाति उत्पति और संचालन को सिद्ध किया जा सकता हैं। बर्हिविवाह पर अ सत्ता ही जाति व्यवस्था का सृजन है। अम्बेडकर ने कहा है कि जब क एक जाति में परिवर्तित होना चाहता है तो उसे अपने सदस्यों को भ सहभागिता देनी पड़ती है जिससे कि सदस्य उस सीमा के बाहर समूह के सदस्यों से विवाह सम्बन्ध स्थापित न कर सकें। इसलिए सभ संख्यात्मक असमानता से मुक्त होने की आवश्यकता है। उन्होंने चार है जिससे स्त्री पुरुष के मध्य संख्यात्मक संतुलन को स्थापित किया जा

i) सतीप्रथा, जिसमें विधवा स्त्री को पति के साथ जला देना।
ii) विधवा अवस्था की अनिवार्य

iii) विधुर के ऊपर ब्रह्मचर्य का नियम लागू करना
iv) पुरुष का ऐसी कन्या से विवाह करना जिसकी अभी विवाहोचित आयु नहीं है।

सती प्रथा, अनिवार्य विधवापन और बाल विवाह वह प्रथाएं एवं साधन हैं जो स्त्री व पुरुष के संख्यात्मक संतुलन को जातिगत विवाह में बनाये रखने का कार्य करती है। इन्हीं साधन के कारण जाति व्यवस्था जीवन्त बनी हुई हैं। अम्बेडकर ने भारत में जाति विकास एवं प्रचार पर विचार करते हुए कहा हैं कि मनु भारत में केवल विधि संहिता के नियामक हैं किन्तु जाति के कानून को बनाने में उनका कोई योगदान नहीं है क्योंकि जाति व्यवस्था मनु से पूर्व की है। मनु द्वारा सिर्फ जाति व्यवस्था को बनाए रखा गया है। एक समय था जब हिन्दू समाज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र इन चार वर्गों में विभक्त था। यह सामाजिक विभाजन स्वाभाविक है लेकिन इस सामाजिक विभाजन में सबसे अधिक अप्राकृतिक यह है कि वर्गीय समाज स्वयं के एक वर्ग से किसी अन्य वर्ग में परिगमन के विकल्पों से वंचित हो गए तथा जाति के इस स्वरूप के कारण एक अपारदर्शी व्यवस्था का उदय हुआ। अब यहां यह प्रश्न उठता है, कि इन समूहों को अपने दरवाजे बन्द करने एवं अन्तर्विवाह हेतु विवश किया गया अथवा उनके द्वारा स्वयं ही यह समझौता किया गया। यहाँ पर इसका उत्तर यह दिया जा सकता है कि कुछ ने तो स्वयं ही अपने लिए दरवाजे बन्द किये एवं कुछ को दरवाजे ही बन्द मिले। पहला मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है और दूसरा याँत्रिक, परन्तु दोनों ही एक दूसरे को पूर्ण करते है और जाति व्यवस्था के गठन की पूरी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण वर्ग ने ही स्वयं के द्वार बन्द करे तथा दूसरे वर्गों ने भी उन्हें स्वयं के लिये बन्द पाया और ब्राह्मणों का अनुकरण किया जिसके फलस्वरूप जाति व्यवस्था का गठन हुआ। हिन्दू सामाजिक व्यवस्था के तीन परस्पर सिद्धान्त है–

) जन्म पर आधारित सभी जाति के सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अधिकारों का पुनर्निर्धारण ।
i) इन अधिकारों का प्रत्येक जाति में असमान एवं श्रेणीबद्ध विभाजन ।
ii) हिन्दू–सामाजिक व्यवस्था को जीवन्त बनाए रखने की सामाजिक एवं धार्मिक विचारधारा के माध्यम से समर्थित सबल धार्मिक तथा आर्थिक बहिष्कार का प्रावधान।

म्बेडकर के मतानुसार हिन्दू सामाजिक व्यवस्था की नींव असमानता का सिद्धान्त है। ाति व्यवस्था उन्नयन एवं क्रम के माध्यम से नियंत्रित होती है जैसे जैसे अधिकार एवं वेशेषाधिकार नीचे से उपर की ओर बढ़ता है, अछूत से ब्राह्मण तक बढ़ोत्तरी होती है। ह प्रणाली एक पदानुक्रम में विभाजित है। इस संदर्भ में कोई भी जाति अकेली न हो र हमेशा बड़ी संख्या में रहती हैं। किसी एक जाति को अलग कर के नहीं देखा जा कता है। समस्त जातियाँ एक पिरामिड की आकृति में दिखाई देती है। जहाँ ब्राह्मण र्वोच्च स्थान पर एवं अछूत सबसे निचले स्तर पर होते है। इसलिये जाति एक ामाजिक प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में है जहाँ समस्त जातियाँ के मध्य असमान प में सांस्कृतिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक अन्तरसंबंध है।

म–विभाजन के रूप में जाति (Caste as Division of Labor)–एक सभ्य समाज ी आवश्यकता श्रम का विभाजन हो सकता है लेकिन यह श्रमिकों के विभिन्न वर्गो में स्वभाविक रूप से विभक्त नही होती। जाति प्रथा के अन्तर्गत श्रमिको के अस्वाभाविक भाजन के साथ साथ भिन्न भिन्न वर्गो को ऊँच नीच में भी बांटती है। यदि जाति था को श्रम विभाजित मान लिया जाए तो यह मनुष्य की अपनी पसंद पर आधारित हीं है। एक सक्षम समाज के लिए आवश्यक है कि वह समाज के लोगों को उनकी चि के अनुसार व्यवसाय चुनाँव हेतु सक्षम बनाए। जाति प्रथा की यह कमी है कि नुष्य का व्यवसाय उसके प्रशिक्षण एवं क्षमता के आधार पर न हो कर उसके माता